है कि जिस में उन्होंने यह मांग की है कि उनकी सेवा पुस्तिका हिन्दी में रखी जायें ताकि वे अपनी सेवा पुस्तिकाओं में की गयी प्रविष्टियों का सत्यापन कर सकें ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उनका यह अभ्यावेदन अस्वीकार कर दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पु० शे० नास्कर): (क) जी, हां ।

(ख) कृषि विभाग की जूनियर स्टाफ काउंसिल ने उस विभाग को यह प्रतिवेदन दिया था, कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा-पुस्तिकाओं की प्रविष्टियां हिन्दी में हों, ताकि वे अपनी सेवा-पुस्तिकाओं को सरलतापूर्वक पढ़ सकें ।

(ग) तथा (घ). सेवा-पुस्तिका का फ़ार्म हिन्दी में अनूदित हो चुका है, तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय में उसकी विधीक्षा की जा रही है । चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकायें हिन्दी में रखने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

P. & T. Quarters in Ramakrishnapuram New Delhi

3081. Shri Rajdeo Singh: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether Ramakrishnapuram Posts and Telegraphs Quarters in Sector No. 6 have not been allotted by the department on the plea that water supply arrangements could not be made by the Corporation;

(b) whether Government are aware that the Corporation have already supplied water in Sector No. 5 and Sector No. 7 and Sector No. 6 lies in between;

(c) if so, the reasons for not making water available there; and

(d) the loss in rent involved as a result of non-allotment of the said quarters?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganatha Rao): (a) Majority of the quarters have been allotted, but the possession will be given when the water supply becomes available.

(b) Yes.

(c) The Municipal Corporation made water available to the CPWD for 2,000 quarters. The matter of distribution of water was taken up with the W. & H. Ministry requesting them to allot water to some of the P & T quarters in Sector 6 also, but this could not be done, due to inadequacy of supply.

(d) About Rs. 38,000 per month.

केरल शिक्षा नियम

3082. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार को केरल शिक्षा नियमों के अध्याय 26 के नियम 6 के अन्तर्गत घोषणा करने में कितना समय लगेगा ;

(ख) केरल शिक्षा नियमों के अध्याय 26 के नियम के अन्तर्गत घोषणा (जारी करने के बारे में रिट अपील संख्या 129 तथा 137/64 पर दिये गये उच्च न्यायालय के निर्णय में क्या निदेश दिया गया है ; और

(ग) उक्त निर्णय को दृष्टि में रखते हुए इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग). उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निदेश दिया कि वह इस बात पर विचार करें कि क्या अध्याय 26 नियम 6